

कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, खण्ड-ब, तृतीय तल, अटलनगर, नवा रायपुर फोन एवं फैक्स 0771-2510274

Email-clm.cg@nic.in

क्र. 1468/विमा/प्रवर्तन/2021
प्रति,

रायपुर दिनांक 03.12.2021


समस्त सहायक नियंत्रक
समस्त निरीक्षक
विधिक मापविज्ञान,
छत्तीसगढ़

विषय:- विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम 2011 के नियमानुसार बांटों मापों के सत्यापन हेतु वर्गीकरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयातर्गत CIS के लिए विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम 2011 के अंतर्गत नियम 27 के अनुसार बांटों या मापों का आवधिक सत्यापन निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

क्रमांक	विवरण	सत्यापन अवधि
01	सभी बांटों, धारिता मापों, लंबाई के माप, टेप, बीम स्केल और काउण्टर मशीन के लिए	24 महीनें
02	भंडारण टैंकों के लिए	60 महीनें
03	उक्त 01 एवं 02 में उल्लेखित के अलावा टैंकलारी सहित सभी बाट या मापक के लिए	12 महीनें

उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि दिए गए वर्गीकरण के अनुसार उल्लेखित अवधि में बांट मापों का सत्यापन करना सुनिश्चित करें।


नियंत्रक
विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
अटलनगर, रायपुर